NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

Date: 26.08.2019

No: 235 /NCRES/19

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :–LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाना।

संदर्भ :– रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 29.5.2019 व 12.7.2019

महोदय,

अवगत कराना है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा WP(C) No. 219/2019 और WP(C) No. 448/2019 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.3.2019 और 22.4.2019 पर रेलवे बोर्ड ने संदर्भित पत्र दिनांक 29.5.2019 और 12.7.2019 जारी कर निर्देश जारी किया था कि LARSGESS के अन्तर्गत जमा किये गये प्रार्थना पत्रो का निस्तारण दो हफ्ते में किया जाय।

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के इलाहाबाद, झांसी और आगरा मण्डल में LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद, झांसी और आगरा के मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय और नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रधान कार्यालय में नियुक्ति के लिये अपना–अपना प्रार्थना पत्र जमा किया है।

खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि एक माह बीत जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नही प्रदान किया गया जब अन्य रेलवे में नियुक्ति प्रदान कर दिया गया है। अतः NCRES का अनुरोध है कि LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री